सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 16 राँची, बुधवार

17 मई, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 138- 140

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

9 मई, 2023

एस० ओ०...........................

गंभीर प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु अथवा सामान्य मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके शव को पैतृक निवासस्थान लाने में मृतक प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों का अनुग्रह राशि विभागीय अधिसूचना संख्या-74 दिनांक- 17.01.2023 द्वारा प्रदान किया जा रहा है। परन्तु अन्य राज्यों में झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामान्य मृत्यु हो जाने पर उनके शव को पैतृक निवास स्थान लाने में देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

अतएव, उपर्युक्त परिस्थितियों में मृत/पीड़ित प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पुनर्वास/राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-74 दिनांक-17.01.2023 की तालिका के क्रमांक-04 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

विवरण	पंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को देय लाभ	अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को देय लाभ
सामान्य मृत्यु होने पर	मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु रू0 50,000/- (पचास हजार) मात्र का भुगतान।	मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु रू0 50,000/- (पचास हजार) मात्र का भुगतान।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-5 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

''अन्य राज्यों में झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके मृत शरीर को उनके पैतृक निवास स्थान तक लाने हेतु रू0 50,000/-(पचास हजार) मात्र का भुगतान उपर्युक्त कोष से किया जाएगा ।''

3. इस योजना से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-74 दिनांक- 17.01.2023 में अन्तर्निहित शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे ।

4. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 16 -- 50 ।